Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131–2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 13, 2021 (SRAVANA 22, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th August, 2021

No. 17-HLA of 2021/ 61 / 20568.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 17-HLA of 2021

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2021. Short title.

2. For section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 3 of Haryana Act 14 of 2016.

"3. Declared area.– The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any area falling within any municipal area to be the civic amenities and infrastructure deficient area where a resolution to such effect has been passed by the concerned municipality and recommended to that effect by the concerned Divisional Commissioner in case of a Municipal Corporation or by the concerned District Municipal Commissioner in case of a municipality, as per the norms notified by the Government from time to time.".

Substitution of section 4 of Haryana Act 14 of 2016.

3. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"4. Enforcement to be kept in abeyance.- (1) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force in the State of Haryana including any rules, regulations or bye-laws made thereunder, or any judgment, decree or order of any court or any authority to the contrary, the Government shall take all possible measures to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of civic amenities and infrastructure deficiencies in the declared area.

(2) All notices and restoration orders passed prior to the commencement of this Act or before the declaration is made under section 3 of the Act to this effect, as the case may be, by any competent authority in the declared area for initiating legal action against persons who have subdivided the land without authority or have erected or re-erected unauthorised building in contravention of the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), or any other law for the time being in force, shall be deemed to have been suspended in the declared area and no further punitive action shall be taken in such cases, except cases which have been forwarded to or pending before any court of law.".

Insertion of section 9A in Haryana Act 14 of 2016.

4. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"9A. Power to relax.— If the Government is of the opinion that the operation of any of the provisions of the Act or any part of notification(s) issued under the Act causes or has caused undue hardship or circumstances exist which render it expedient so to do, it may, subject to such terms and conditions as it may impose, by an order, give relaxation to any class of persons or area or land from all or any provisions of the Act.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 was enacted with an objective of providing essential services in the civic amenities deficient areas. The provision of section 3 of the Act presented following practical difficulties:

> 'As per the provision, only where construction took place on more than 50% of plots before 31st March, 2015 qualified to be considered under the Act. Since such deficient areas and their coming into being is an ongoing process, this provision presented hardship in certain cases.'

This provision, therefore, required rectification, which is sought to be achieve through this Amendment Act.

In section 4 (1) of the Act, provision has been made for providing a window of five years from the commencement of the Act to deal with the problem of civic amenities deficiency under the Act. Again, since such deficient areas and their coming into being is an ongoing process, this provision also presented hardship in certain cases. This provision, therefore, required rectification by way of removing the time frame altogether, which is sought to be achieved through this Amendment Act.

In section 4 (2) of the Act, there is a provision to consider only the 'notices and restoration orders' passed prior to the commencement of Act under the provision of the Act. Here also, since such deficient areas and their coming into being ongoing process, this provision presented hardship in certain cases. Accordingly, the provision limiting 'notices and restoration orders' to be considered within this Act only in such cases where they were passed prior to the commencement of the Act had to be relaxed by including even such of them which were issued after the commencement of the Principal Act. This provision, therefore, required rectifications by way of removing such time frame altogether, which is sought to be achieved through this Amendment Act.

In section 4 (2) also there was a time frame of five years, which required to be eliminated altogether. This provision, therefore, required rectifications by way of removing such time frame altogether, which is sought to be achieved through this Amendment Act.

In the Principal Act, there was no enabling provision for removing the hardship faced in class or category of persons or property by way of removal of difficulties, etc. Such a provision has been proposed to be inserted in the Principal Act.

In the above background and to address the concerns effectively, it is warranted that the the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) is appropriately amended.

Hence, this Bill.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 13th August, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 17 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2021

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 3 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''3. घोषित क्षेत्र.– सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र को अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है, जहाँ सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित मानदण्डों के अनुसार सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा ऐसे प्रभाव का संकल्प पारित किया गया है तथा किसी नगर निगम की दशा में सम्बद्ध मण्डल आयुक्त द्वारा या किसी नगरपालिका की दशा में सम्बद्ध जिला नगर आयुक्त द्वारा उस प्रभाव की सिफारिश की गई है।''

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''4. प्रवर्तन को स्थगित रखा जाना.– (1) हरियाणा राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों या किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के किसी न्याय–निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार घोषित क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना की समस्या से निपटने हेतु मानकों, पालिसी दिशा–निर्देशों तथा साध्य रणनीतियों को अन्तिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी।

(2) ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों की उल्लंघना में प्राधिकार के बिना भूमि का उपविभाजन किया है या अप्राधिकृत निर्माणों का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण किया है, के विरूद्ध विधिक कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए घोषित क्षेत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या इस प्रभाव हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन की गई घोषणा से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, जारी सभी नोटिसों तथा पारित प्रत्यावर्तन आदेश घोषित क्षेत्र में निलम्बित किए गए समझें जाएंगे तथा किसी विधि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए या लम्बित मामलों को छोड़कर, ऐसे मामलों में आगे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।''।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 में धारा 9क का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''9क. ढ़ील देने की शक्ति.– यदि सरकार की राय है कि अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना (अधिसूचनाओं) के किसी भाग के लागू होने से असम्यक् कठिनाई होती है या हुई है अथवा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण ऐसा करना समीचीन हो गया है, तो यह ऐसे निबन्धन तथा शर्तों, जो यह अवधारित करे, के अध्यधीन, आदेश द्वारा, अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से व्यक्तियों के किसी वर्ग या किसी क्षेत्र या भूमि के संबंध में ढ़ील दे सकती है।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016, नागरिक सुखसुविधा अपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान निम्निलिखित व्यावहारिक कठिनाईयाँ प्रस्तुत करते हैं :—

'प्रावधान के अनुसार जहाँ केवल 31 मार्च, 2015 से पूर्व प्लाट का 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण हुआ है, अधिनियम के अधीन अर्हक के रूप में माना जाना है। चूंकि ऐसे अपूर्ण क्षेत्र तथा उनका अस्तित्व में आना एक सत्त प्रक्रिया है। इसलिए यह प्रावधान कतिपय मामलों में कठिनाई पेश करता हैं।'

इसलिए, इस प्रावधान का सुधार करना अपेक्षित है जिसे इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना हैं।

2. अधिनियम की धारा 4 (1) में, अधिनियम के अधीन नागरिक सुखसुविधाओं में अपूर्णता की समस्या के सम्बन्ध में अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्षो के लिए विंडो मुहैया कराने के लिए प्रावधान किया गया है। पुनः, जैसे कि ऐसे अपूर्ण क्षेत्र तथा उनका अस्तित्व में आना एक सत्त प्रक्रिया हैं, इसलिए यह प्रावधान भी कतिपय मामलों में कठिनाई पेश करता हैं। अतः, इस प्रावधान की समय सीमा को पूरी तरह से हटाकर सुधार की आवश्यकता हैं जिसे इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना हैं।

3. अधिनियम की धारा 4 (2) में, अधिनियम के प्रावधान के अधीन अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित केवल 'नोटिस तथा बहाली के आदेश' के प्रावधान पर विचार करना है। यहाँ भी, जैसे कि अपूर्ण क्षेत्र तथा उनका अस्तित्व में आना एक सत्त प्रक्रिया हैं, इसलिए यह प्रावधान कतिपय मामलों में कठिनाई पेश करता हैं। तदानुसार इस अधिनियम में विचार किए जाने वाले'नोटिस तथा बहाली के आदेश' को सीमित करने के लिए प्रावधान केवल ऐसे मामलों में जहाँ वे अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित किये गये थे, उनमें से भी जो मूल अधिनियम के प्रारम्भ के बाद जारी किये गये थे, को शामिल करके शिथिल किया जाना था। इसलिए, इस प्रावधान की समय सीमा को पूरी तरह से हटाकर सुधार की आवश्यकता हैं जिसे इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

धारा 4 (2) में पांच वर्ष की समय सीमा को भी, जिसे पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता हैं। इसलिए, इस प्रावधान की समय सीमा को पूरी तरह से हटाकर सुधार की आवश्यकता हैं जिसे इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना हैं।

मूल अधिनियम में कठिनाईयों आदि को दूर करने के लिए व्यक्तियों या सम्पति की श्रेणी या वर्ग में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं था। ऐसा प्रावधान मूल अधिनियम में रखा जाना प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में तथा सम्बन्धित मामले का प्रभावशाली रूप से निवारण करने के लिए यह आवश्यक है कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम को उचित रूप से संशोधित किया जाना हैं।

अतः, यह विधेयक।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।